प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवम्बर, 2019 को समय 11:30 बजे निदेशालय में आयोजित बैठक से संबन्धित कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री एन0पी0 पाण्डेय, विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. डा0 यू0पी0 सिंह, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, प0पा0 विभाग, उ0प्र0।
3. डा0 एस0के0 श्रीवास्तव, निदेशक, रोग नि0 एवं प्रक्षेत्र, प0पा0 विभाग, उ0प्र0।
4. प्रो0 शिव प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधि, उ0प्र0 पशु विकास परिषद, लखनऊ।
5. डा0 अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक, गोधन, प0पा0 विभाग, उ0प्र0।
6. योजना प्रभारी/अधिकारी, मुख्यालय/बी0पी0 संस्थान प0पा0 विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

बैठक सर्वप्रथम निदेशालय के पत्र संख्या–1931/सा0–2/गोशाला/ 2019–20 दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 द्वारा जनपदीय नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित जनपदों में निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण के स्थलीय सत्यापन उपरान्त प्राप्त आख्या पर चर्चा हुई। नोडल अधिकारियों से प्राप्त आख्या में कामन बिन्दु निम्न प्रकार पाये गयेः– **(1) गोवंश संख्या के सापेक्ष शेड की व्यवस्था न होना।** इस संबन्ध में निर्देशित किया गया कि नोडल अधिकारी द्वारा द्वितीय भ्रमण के समय समन्वय कर शेड की व्यवस्था करायी जायेगी। **(2) गोवंश आश्रय स्थलों पर कम संख्या अर्थात तीस से कम गोवंश का होना** के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि समीप के आश्रय स्थलों में तत्काल स्थानान्तरित कराया जाय। **(3) गोवंश को ठंढ से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था का न होना,** इस संवेदनशील प्रकरण पर निद्रेश्षत किया गया कि भ्रमण के समय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या 4324/सैतीस–2–2018–5(53)/2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 एवं तद्क्रम में शासनादेश संख्या 261/सैंतीस–2– 2019–5(53)/18 दिनांक 28 जनवरी, 2019 (परामर्शी मार्गनिर्देश) एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के आलोक में समस्त संबन्धित विभागों को समन्वय कर शेड को तिरपाल, बोरे, कम्बल आदि से उचित रूप से घेरा जाय अत्यधिक ठण्ड के समय व्यक्ति/चौकीदार की उपस्थिति में अलाव की व्यवस्था करायी जाय। यह भी ध्यान दिया जाय कि शीत के कारण किसी गोवंश की आकस्मिक मृत्यु न हो। **(4) गोवंश की सुपुर्दगी हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति** के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता की योजना पर जनपद में जनमानस में जागरूकता लाकर अपनाए जाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लक्ष्य की पूर्ति कम समय में प्राप्त की जाय। **(5) समस्त गोवंश की टैगिंग एवं नर गोवंश–बधियाकरण का शत–प्रतिशत न होना** के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि संरक्षित गोवंश के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रगति प्राप्त की जाय। **(6) वर्ष 2018–19 में स्वीकृत वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का क्रियाशील न होना** के संबन्ध में रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा निराश्रित गोवंश को संरक्षित कराया जाय तथा वर्ष 2019–20 में चिन्हित वृहद गोसंरक्षण केन्द्र को भी

तत्काल क्रियाशील कराया जाय। **(7) गो–आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाये जाने का प्रयास न किया जाना** के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि इस कार्य से जुड़े विभागों/ स्वयं सेवी संस्थाओं से समन्वय कर कार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। **(8) जनपदों में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित/छुटट्ा गोवंश की उपस्थिति** एक समस्या है के निराकरण हेतु संड़कों पर पाये जा रहे छुट्टा गोवंश के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित कराया जाय एवं जनपदों को छुट्टा पशुओं से मुक्त कराया जाय। इस हेतु जनपद स्तर पर समस्त संबन्धित विभागों के समन्वय से कार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। **(9) गोवंश हेतु हरे चारे/मिनिरल मिक्चर की व्यवस्था न होना के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि** भूमि की उपलब्धता होने पर चारा बीज की उपलब्धता कराया जाय तथा विभागीय योजनाओं में उपलब्ध मिनरल मिक्स्चर को गोवंश को उपलब्ध कराया जाय जिससे ठण्ड के समय उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे।

कार्यवाहीः समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी /मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/समस्त जिलाधिकारी

2– उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु द्वितीय भ्रमण कार्यक्रम "Problem Solution Visit" (समस्या समाधान भ्रमण) दिनांक 13 से 15–11–2019 तक अधिकतम दिनांक 16 नवम्बर, 2019 तक निर्धारित करते हुए निदेशक प्रशासन एवं विकास को जनपदीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने एवं निर्देश निर्गत किए जाने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यवाहीः निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

3– बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जनपदीय नोडल अधिकारी उपरोक्त तिथियों में जनपदों का भ्रमण करते हुए वर्णित कठिनाइयों का निराकरण हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के साथ सम्बन्धित विभागों के समन्वय से निराकरण कराना सुनिश्चित करें। भ्रमण के समय आगामी ठंढ/ठंढी हवाओं से गोवंश प्रभावित न हो/मृत्यु न हो पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी/ समस्त जिलाधिकारी

4– उक्त के साथ ही साथ भ्रमण के समय जनपद स्तर पर आई0जी0आर0एस0 अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाय एवं वृहद पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा शिविर/मेला (मण्डल जनपद में) की तिथियों का भी निर्धारण कराते हुए उसकी सूचना भ्रमण आख्या में सम्मिलित किया जाय।

कार्यवाही समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी

5– मण्डलीय अपर निदेशक–ग्रेड–2 को इस आशय से प्रेषित कि मण्डल अंतर्गत जनपदों में उपरोक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें एवं कृत

कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी कराए। यह ध्यान दिया जाय कि शीत के कारण किसी गोवंश की आकस्मिक मृत्यु न हो।

कार्यवाही समस्त मण्डलीय अपर निदेशक–ग्रेड–2, प0पा0 विभाग

6– बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन विभिन्न समाचार पत्रों में गोवंश के सरक्षण/मृत्यु अन्य समानान्तर प्रकरणों पर समाचार प्रकाशित होते है। निदेशालय स्तर पर स्थित गोशाला अनुभाग में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रातः कार्यालय अवधि (प्रथम आधे घण्टें) में समस्त समाचार पत्रों (आफलाइन एवं आनलाइन) में सबन्धित प्रकाशित सूचनाओं को संकलित कर अपर निदेशक गोधन के माध्यम से निदेशक प्रशासन एवं विकास को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक प्रशासन एवं विकास उक्त सूचनाओं के सापेक्ष कार्यवाही सूनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

कार्यवाहीः प0चि0अधि0–गोशाला /अपर निदेशक–गोधन/ निदेशक, प्रशासन एवं विकास,

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन विभाग
संख्या– 733/पीएस–एएच/2019
लखनऊः दिनांक 13 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, गोधन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
13. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव